



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17102020-222532
CG-DL-E-17102020-222532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3236]
No. 3236]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 16, 2020/ आश्विन 24, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 16, 2020/ASVINA 24, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3650(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 454 (अ) तारीख 21.01.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 25.01.2019 में प्रकाशित की गयी थी द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड द्वारा असम राज्य में नार्थ - ईस्ट नेचुरल गैस पाइपलाइन ग्रिड परियोजना के गुवाहाटी - नुमालीगढ़ - दीमापुर खंड के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, मैसर्स इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जिला : दरंग			राज्य : असम			
सर्कल	मौज़ा	गाँव	दाग नं	क्षेत्रफल		
				हेक्टेअर	आर	वर्ग मीटर
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
चिपाझार	लोकराई	मैजलि गाँव	336	00	26	90
			342	00	14	61
			343	00	00	23
			341	00	00	51
			345	00	06	57
			302	00	04	72
			346	00	03	18
			301	00	14	94
			299	00	00	20
			349	00	14	45
			350	00	07	61
			298	00	06	23
			297	00	09	39
			359	00	03	86
चिपाझार	लोकराई	पतगिरि चूबा	233	00	00	77
			242	00	06	43
			238	00	09	05
			236	00	04	69
			222	00	12	74
			217	00	09	08
			218	00	01	40
			199	00	11	00
			200	00	02	30
			179	00	22	95

			173	00	02	13
			170	00	00	51
			171	00	00	20
			172	00	09	40
			148	00	09	79
			149	00	18	29
			144	00	01	33
			120	00	22	80
			116	00	00	71
			117	00	02	14
			85	00	27	18
			76	00	00	68
			75	00	05	53
			78	00	03	21
			13	00	07	00
			12	00	13	12
			9	00	06	06
			14	00	06	80
			15	00	18	47
			19	00	10	17
			21	00	00	92
			20	00	08	45
पथारीघाट	दिपिला	नाओपोता	189	00	03	92
			194	00	03	91
			195	00	10	36
			177	00	06	96
			178	00	04	91
			176	00	00	32
			179	00	01	70
			173	00	27	75
			170	00	08	28
			168	00	18	51
मंगलदाइ	चपाई	मजा चुबुरी	411	00	02	06
			556	00	15	70
			553	00	09	53
			554	00	02	85

	551	00	00	52
	542	00	00	90

[फा. सं. एल-14014/11/2019/जी पी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 14th October, 2020

S.O. 3650(E).—Whereas by notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 454 (E) dated 21.01.2019 issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 25.01.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Guwahati – Numaligarh – Dimapur Section of North – East Natural Gas Pipeline Grid Project in the State of Assam by M/s. Indradhanush Gas Grid Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted its report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in M/s. Indradhanush Gas Grid Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

District : Darrang				State:Assam		
Circle	Mouza	Name of Village	Dag No.	Area		
				Hectare	Are	Square Metre
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sipajhar	Lokrai	Maijeli Gaon	336	00	26	90
			342	00	14	61
			343	00	00	23
			341	00	00	51
			345	00	06	57
			302	00	04	72
			346	00	03	18
			301	00	14	94
			299	00	00	20

			349	00	14	45
			350	00	07	61
			298	00	06	23
			297	00	09	39
			359	00	03	86
Sipajhar	Lokrai	Patgiri Chuba	233	00	00	77
			242	00	06	43
			238	00	09	05
			236	00	04	69
			222	00	12	74
			217	00	09	08
			218	00	01	40
			199	00	11	00
			200	00	02	30
			179	00	22	95
			173	00	02	13
			170	00	00	51
			171	00	00	20
			172	00	09	40
			148	00	09	79
			149	00	18	29
			144	00	01	33
			120	00	22	80
			116	00	00	71
			117	00	02	14
			85	00	27	18
			76	00	00	68
			75	00	05	53
			78	00	03	21
			13	00	07	00
			12	00	13	12
			9	00	06	06
			14	00	06	80
			15	00	18	47
			19	00	10	17
			21	00	00	92
			20	00	08	45
Patharighat	Dipila	Naopota	189	00	03	92

			194	00	03	91
			195	00	10	36
			177	00	06	96
			178	00	04	91
			176	00	00	32
			179	00	01	70
			173	00	27	75
			170	00	08	28
			168	00	18	51
Mangaldai	Chapai	Maja Chuburi	411	00	02	06
			556	00	15	70
			553	00	09	53
			554	00	02	85
			551	00	00	52
			542	00	00	90

[F. No. L-14014/11/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.